

[2023] 2 एस. सी. आर 219

/

राजेन्द्र कुमार श्रीवास बनाम.

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 1514)

/

13 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

सेवा विधि -न्यायिक सेवा-सीमित विभागीय के अंतर्गत कोटा से अधिक नियुक्तियों को चुनौती
परीक्षा-अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य में।बनाम भारत संघ

/

यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि बार से सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत सीटें
आरक्षित होंगी, सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की नियमित पदोन्नति से 65 प्रतिशत सीटें
और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 10 प्रतिशत सीटें भरी जानी थीं-सभी उच्च
न्यायालय ों को नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था-उच्च न्यायालय के समक्ष
दायर रिट याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन नियुक्तियों को रद्द करने का अनुरोध किया
गया था जो सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के कोटे
के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, नियम 1994 के तहत 5 (1) (बी), 2007 से 2017 तक 10
प्रतिशत कोटे की सीमा से अधिक है-रिट याचिका खारिज-अपील पर कहा गया:तत्काल मामले
अंतर्गत , वर्ष 2017 अंतर्गत , 740 स्वीकृत पद थे-74 सीटें सीमित विभागीय प्रतियोगी
परीक्षा द्वारा भरी जानी थीं, जिसके खिलाफ 78 पद सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाने थे-
इसके बाद, और 11 पदों का विज्ञापन किया गया, जिनअंतर्गत से 5 पद भरे गए-परिणाम यह
होगा कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 10 प्रतिशत सीटों के कोटे से परे सीमित
विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदों को भरा गया था-जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश
दिया गया था, सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा 10 प्रतिशत सीटों को
भरा जाना आवश्यक था।

/

/

/

/

/

219 ए.

220 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना-अपील का निपटारा।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम संघ

भारत और अन्य **(2010) 15 एस. सी. सी. 170**-पर निर्भर थे।संदर्भित निर्णय

/

(2010) 15 एससीसी 170

पर विश्वास किया

पैरा **3**

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 1514।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23.02.2018 के निर्णय और आदेश से, 2018 के WP संख्या 3190 में जबलपुर में प्रधान सीट।संतोष पॉल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीहर्ष एन. बुंदेला, अक्षय कुमार, मैत्रेय शेटी, डॉ. आशुतोष गर्ग, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ए. जी., मृणाल गोपाल एल्कर, श्रीमती अनुराधा मिश्रा, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर में प्रधान पीठ द्वारा लिखित याचिका संख्या 3190/2018 में पारित दिनांक 23.02.2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता क्वो वारंट की रिट मांगने के हकदार नहीं हैं, वे:मूल रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. उच्च न्यायालय के समक्ष, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध किया:

ए. इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय 2007 से सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा के अंतर्गत कोटा की नियुक्तियों के पूरे रिकॉर्ड को बुलाने और इसे आगे बढ़ाने और दिनांकित 19.01.2018 (अनुलग्नक) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रसन्न हो। पी-11) और 25.01.2018। ख. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय नियम 1994 के तहत 5 (1) (ख) के तहत सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के कोटे के 10 प्रतिशत से अधिक की नियुक्तियों को रद्द कर दे, क्योंकि 2007 से 2017 तक ए के रूप में 10 प्रतिशत कोटे की सीमा से अधिक है।

/

/

221

राजेन्द्र कुमार श्रीवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया और नियमित पदोन्नति के साथ सीटों को भरने का निर्देश दिया गया।

ग. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरदाताओं को नियम 1994 के नियम 5 (1) (बी) में आवश्यक संशोधन करने और सीमित प्रतियोगी परीक्षा में नियुक्ति की सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्देश दे ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य में पारित किया जा सके।

/

डी. माननीय न्यायालय कृपया उस प्राधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दे सकता है, जिसने जानबूझकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में 1994 के नियमों के 5 (1) (बी) के तहत 10 प्रतिशत की कोटा सीमा का पालन नहीं करने के संबंध में, और उन्हें विधि के अनुसार दंडित किया।

/

ई. इस रिट याचिका की लागत के साथ-साथ इस मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत भी प्रदान की जाए। 3. उच्च न्यायालय के समक्ष, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद

/

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का मामला, (2010) 15 एस. सी. सी. 170 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायपालिका में पदों को भरने के लिए न्यायालय ों ने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटा को पार कर लिया है और उच्च न्यायपालिका में पदों को 10 प्रतिशत से अधिक कोटा से भर दिया है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है/था कि इस न्यायालय द्वारा सभी उच्च न्यायालय ों को यह देखने के लिए जारी किए गए विशिष्ट निर्देश के बावजूद कि मौजूदा सेवा नियमों को 1.1.2011 से सकारात्मक रूप से संशोधित किया जाए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली 10 प्रतिशत सीटों के प्रावधान वाले नियमों में संशोधन नहीं किया।

/

/

4. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा और इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त राहत मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई थी, उच्च न्यायालय ने माना है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने यथास्थिति वारंट के लिए अनुरोध किया है। उपरोक्त राहतों को रिट ऑफ क्वो वारंट का राहत नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के बजाय, हमने स्वयं मामले और मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया है।

/

5. उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि शुरू में वर्ष 2005 में, उच्च न्यायालय ने संशोधन किया था

/

222

/

[2023] 2 एस सी आर।

हालाँकि, भर्ती नियमों को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया और मामला इस न्यायालय तक पहुँच गया और उसके बाद वर्ष 2018 में इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के समापन के बाद, उच्च न्यायालय ने इसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप भर्ती नियमों में संशोधन किया।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऊपर) के मामले में न्यायालय ।

5.1 उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में, 10 प्रतिशत से अधिक कोटा पर की गई नियुक्तियों अपास्त करते हुए करके और अलग करके कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

/

6. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।

/

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय

विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि उक्त निर्णय की तारीख से बार से सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत सीटें होंगी, 65 प्रतिशत सीटें सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) की नियमित पदोन्नति से भरी जानी हैं और 10 प्रतिशत सीटें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जानी हैं। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि उम्मीदवार 10 प्रतिशत सीटों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, या परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो रिक्त पदों को लागू सेवा नियमों के अनुसार नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालय यह देखने के लिए कदम उठाएं कि मौजूदा सेवा नियमों को 1.1.2011 से सकारात्मक रूप से संशोधित किया जाए। इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन नहीं किया जाता है, तो उक्त आदेश लागू होगा और 1.1.2011 से आगे की भर्ती तदनुसार जारी रखी जाएगी जैसा कि निर्देश दिया गया है।

/

/

7. इसलिए, उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1.1.2011 पर और उससे केवल 10 प्रतिशत सीटें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जानी हैं। इसलिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी गई 10 प्रतिशत से अधिक सीटों पर किसी भी नियुक्ति को कोटा में नियुक्ति से अधिक माना जाएगा।

/

8. वर्तमान मामले में वर्ष 2017 में 740 स्वीकृत पद थे। इसलिए, 74 सीटों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना था, जिसके खिलाफ 78 पदों को सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाना था। इसके बाद 11 और पदों के लिए विज्ञापन दिया गया, जिनमें से 5 पदों को भरा गया। परिणाम यह होगा कि पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 10 प्रतिशत सीटों के कोटे से परे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा गया था। ए के रूप में

/

राजेन्द्र कुमार श्रीवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

ऊपर उल्लिखित और इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, 10 प्रतिशत सीटों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.2011 और 1.1.2011 के बाद से की गई किसी भी भर्ती द्वारा भरा जाना आवश्यक था। इसलिए, उच्च न्यायालय को पदों को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और यदि कोई नियुक्ति किसी विशेष भर्ती में 10 प्रतिशत से अधिक सीटों पर की गई पाई जाती है, तो उसे भविष्य की भर्ती में समायोजित करना होगा।

/

9. जहाँ तक 2007 से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत कोटा से अधिक की गई नियुक्तियों और वर्ष 2017/2018 में की गई नियुक्तियों को चुनौती देने की बात है, उन चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में मूल रिट याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

/

इस स्तर पर, उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकार का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मूल रिट याचिकाकर्ता संख्या 1-अपीलार्थी एक निलंबित न्यायिक अधिकारी था जो बाद में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया था। हालांकि, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के स्थान पर आगे विचार किए बिना, हमने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार किया है।

/

(ऊपर)।

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील का निपटारा निम्नानुसार निर्देश देकर किया जाता है:

/

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ 8 और 9 में निहित निर्देश और यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि 10 प्रतिशत सीटें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं और यदि यह पाया जाता

है कि 10 प्रतिशत कोटा का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे सभी पदों को भविष्य की भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।

/

11. तत्काल दीवानी अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

/